सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

104वाँ प्रतिवेदन

(आपदा प्रबंधन विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 19-02-21 ई० को सदन में उपस्थापित)।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्य काल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2. प्राक्कथन	ख
3. प्रतिवेदन	1-7
4. परिशिष्ट	8-27

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा — स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6. श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7. श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8. श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10.श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	उप-सचिव
4. श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा	सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7. श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'', स०वि०स०, श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स०वि०स०, श्री शमीम अहमद, स०वि०स०, श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०, श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०, श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०, श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स०, श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०, डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० मुहम्मद इजहार असफी, स०वि०स०, श्री इजहारूल हुसैन, स०वि०स०, श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स०, श्री महबूब आलम, स०वि०स०, श्री महा नंद सिंह, स०वि०स०, श्री प्रणव कुमार, स०वि०स० श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०, एवं श्री अचमित ऋषिदेव, स०वि०स०, द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 104वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित उपर्युक्त माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचानाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है ।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों सदस्यों सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित प्रतिवेदन

सतरहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र तक में आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 26 है, जिसमें से कुल 06 शून्यकाल की सूचनाओं को अन्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरित किया गया है । शेष कुल-20 शून्यकाल सूचनाओं में से सभी का कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार विधान सभा को प्राप्त हो गया है । शून्यकाल समिति की दिनांक 11 अगस्त, 2023 की विभागीय बैठक में सभी कुल 20 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है । जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:--

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम ।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि ।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक ।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
1	श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल"	मधुबनी जिला के बिस्फी एवं रहिका प्रखंड में धौस, जीवछ नदियों में आयी भीषण बाढ़ से आम जनता का जीवन स्तर व्यस्त हो गया है । किसानों का खेती चौपट हो गया है । अविलम्ब राहत कार्य चलाने के संबंध में ।	29.07.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 26/2021-2478 / 16.08.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2643, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-01
2	श्री प्रेम शंकर प्रसाद	गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर विधान सभा क्षेत्र के बनजरिया, पकरी, घोघराहा, महारानी पंडुई, उसरी, शीतलपुर, पकहा एवं प्यारेपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहां हर साल बाढ़ आती है जिसके बाद बाढ़ राहत दी जाती है । इस बार भी बाढ़ आयी लेकिन बाढ़ राहत नहीं दी गयी। बाढ़ राहत दिलाने के संबंध में ।	09.03.2022	आपदा प्रबंधन विभाग 08/2022-1694 / 18.04.2022	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 3258, दिनांक 11 जुलाई,2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-02
3	श्री शमीम अहमद	नरकटिया विधान सभा के बंजरीया प्रखंड 13 पंचायत बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुये प्रत्येक परिवार को 6000 रुपये जल्द-से-जल्द देने के संबंध में ।	29.07.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 26-2021-2479 / 16.08.2021	आपदा प्रबंधन विभाग। के ज्ञापांक-2641, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-03

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम ।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि ।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक ।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक /दिनांक ।
4	श्री समीर कुमार महासेठ	डी०सी०एल०आर० मधुबनी के पत्रांक 203, दिनांक 19 फरवरी, 2022 द्वारा जिला आपदा प्रबंधन शाखा को मधुबनी विधान सभा क्षेत्र में आपदाओं की संवेदनशीलता का आकलन कर निदान हेतु रैपिड ऐसेसमेन्ट कराने का अनुरोध किया गया परन्तु अभीतक कोई काम नहीं हुआ । रैपिड असेसमेंट की मांग के संबंध में ।	29.03.2022	आपदा प्रबंधन विभाग 20/2022-1893 / 11.05.2022	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2629, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-04
5	श्री सुदामा प्रसाद	भोजपुर जिला के पीरो सब्जी मार्केट में आग लगने से दिनांक 28 अप्रील, 2021 को 125 दुकानें जलने से दुकानदारों को एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ लेकिन आजतक उन्हें मुआवजा नहीं मिला । भूखमरी के शिकार दुकानदारों को प्रर्याप्त मुआवजे की मांग के संबंध में ।	02.12.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 32/2021-47 / 06.01.2022	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2408, दिनांक 12 जून, 2023 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-05
6	श्री अरूण शंकर प्रसाद	मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर कमला नदी में 19 नवम्बर, 2021 को पूर्णिमा स्नान के क्रम में पिंटू कुमार एवं प्रशान्त कुमार, पिठवाटोल की मृत्यु डूबने से हुई पुलिस एवं प्रशासनिक विफलता से घटना घटी । जाँचोपरान्त समुचित कार्रवाई एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग करने के संबंध में ।	30.11.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 30/2021-3411 / 22.12.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2626, दिनांक 28 जून, 2023 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-06

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम ।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि ।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक ।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
7	श्री अजय कुमार सिंह	मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड के फरदा गाँव एवं उसके इर्द-गिर्द के लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक जमीन गंगा के तेज धार में विलीन हो गया है । फरदा ग्राम एवं आस-पास के कृषक एवं कृषक मजदूर को राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था की मांग के संबंध में ।	26.03.2022	आपदा प्रबंधन विभाग 18/2022-1812 / 26.04.2022	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2631, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-04
8	श्रीमती गायत्री देवी	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनवरसा बाजार में दिनांक 24 मार्च, 2022 को सोलह व्यापारियों के घर एवं दुकान में 11 बजे रात्रि में अचानक आग लगने से बुरी तरह जल जाने के कारण लगभग दो करोड़ से ज्यादा की क्षति हुई है । अनुग्रह अनुदान राशि की मांग के संबंध में ।	26.03.2022	आपदा प्रबंधन विभाग 18/2022-1811 / 26.04.2022	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 4084, दिनांक 26 अगस्त, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-08
9	डॉ० रामानुज प्रसाद	सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दिघवारा एवं सोनपुर प्रखंड में बाढ़ राहत राशि से वंचित पीड़ित परिवार को बाढ़ राहत राशि दिलवाने के संबंध में ।	03.12.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 33/2021-3327 / 17.12.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 5568, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-09

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम ।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि ।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक ।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
10	श्री मुहम्मद इजहार असफी	किशनगंज नगर परिषद् क्षेत्र वार्ड नं० 04 में बीती रात दिनांक 15 मार्च, 2021 को भीषण आगजनी से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई और 1 सदस्य की हालत गंभीर है । उक्त पीड़ित परिवार के सदस्य को अविलंब अनुग्रह राशि देने की मांग के संबंध में ।	16.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 17/2021-1207 / 06.04.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 3844, दिनांक 29 अगस्त, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-10
11	श्री इजहारूल हुसैन	किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित पश्चिमपाली मोहीउद्दीनपुर, सलाम कॉलोनी में रविवार मध्य रात्रि को आग लगने से एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की मौत हो चुकी और दो सदस्यों की हालत गंभीर है । इनको अतिशीघ्र मुआवजा देने की मांग के संबंध में ।	16.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 17/2021-1208 / 06.04.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 3753, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-11
12	श्री कुमार शैलेन्द्र	भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में बैकठपुर-दूधैला पंचायत के कसमाबाद गांव में कल दिनांक 2 मार्च, 2021 को दिन के 11:00 बजे अचानक भीषण आग लग गई । जिसके वजह से लगभग चार सौ घर जलकर राख हो गया है पीड़ित परिवार को अविलंब राहत दिलवाने की मांग के संबंध में ।	03.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 09/2021-854 / 13.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2639, दिनांक 28 जून, 2023 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-12

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम ।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि ।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक ।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
13	श्री कुमार शैलेन्द्र	भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा क्षेत्र के नारायण प्रखंड के जयपुर चूहड़ पश्चिम पंचायत के वार्ड नं०-2 के बिहारी यादव, पिता-बंटी यादव की दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को गंगा की धार में डूबने से मौत हो गई । पीड़ित परिवार को पाँच लाख सहायता राशि देने के संबंध में ।	30.11.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 30/2021-3373 / 21.12.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2638, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-13
14	श्री महबूब आलम	कोरोना आपदा के दौरान घर वापसी में प्रवासी मजदूर बारसाई प्रखंड के काजी अनवर तथा बलरामपुर प्रखंड के तारिक की मौत बेगूसराय तथा गोरखपुर में भूख प्यास से हो गई । उनके आश्रितों को बीस-बीस लाख रुपये का मुआवजा देने के संबंध में ।	23.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 21/2021-1466 / 28.04.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2642, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-14
15	श्री महा नंद सिंह	अरवल जिला के शहर तेलपा टोला मियांबाग में 07 जनवरी, 2021 को भीषण आग लगी थी, जिसमें पांच महादलित परिवार के धान का फसल नष्ट हो गया था । अभीतक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है । तत्काल मुआवजा की मांग के संबंध में ।	04.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 10/2021-822 / 10.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2625, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-15

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम ।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि ।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
16	श्री प्रणव कुमार	मुंगेर जिलान्तर्गत मोकबिरा चाय टोला में विगत दिनों आगलगी के कारण पीड़ितों को सरकार द्वारा अनुशंसित राशि 9800 रुपये के बदले मात्र 6800 रुपये का भुगतान किया गया है । पूर्व में भी पीड़ित परिवारों को 9800 रुपये के भुगतान करने के संबंध में ।	05.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 11/2021-942 / 15.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2640, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-16
17	श्री रामबली सिंह	लगातार अकाल एवं सुखाड़ झेलनेवाला 217 घोसी विधान सभा के दर्जनों गांव में धान और नेवारी (पशुचारा) अगलगी में जल गया । पशुओं का चारा और फसल जलने का उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिये नियमों में संशोधन करने के संबंध में ।	08.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 12/2021-965 / 17.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2645, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-17
18	श्री अचमित ऋषिदेव	अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड बिशनपुर पंचायत मधुलता निवासी नगो ऋषि उर्फ लाली का 5 अगस्त, 2020 को नदी से डूबने से मृत्यु हो गई, जिसका यूडी केस 10/20 रानीगंज थाना में दर्ज है । मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान देने की मांग के संबंध में ।	05.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 11/2021-943 / 15.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2628, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-18

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम ।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि ।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक ।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
19	श्री प्रेम शंकर प्रसाद	बैकुण्ठपुर में विगत बाढ़ से 42 पंचायतों के लाखों जन जीवन सहित फसलों की क्षति हुई परंतु आपदा राहत मात्र 88411 व्यक्तियों को दिया गया । अभी भी छूटे हुये लाखों परिवारों को निर्धारित आपदा राहत की स्वीकृति अपेक्षित है, के संबंध में ।	03.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 09/2021-866 / 13.03.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2627, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-19
20	श्री अरूण शंकर प्रसाद	मधुबनी जिला के बासोपट्टी, जयनगर एवं खजौली प्रखंड में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित किसान को फसल क्षति अनुदान एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत अनुदान देने की मांग के संबंध में ।	30.07.2021	आपदा प्रबंधन विभाग 27/2021-2379 / 12.08.2021	आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक 2630, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-20

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा शून्यकाल समिति की दिनांक 11 अगस्त, 2023 की विभागीय बैठक में की गई, जिसे समिति द्वारा संतोषप्रद पाया गया है । लेकिन शून्यकाल समिति द्वारा विभाग को कुछ सुझाव भी दिये गये हैं, जो निम्न प्रकार है :--

1. बिहार राज्य के सभी जिलों में प्राकृतिक आपदा के लिये जो एक्सन प्लान बना है उसके लिये सभी जिलों को एक परामर्श भेज दिया जाये कि प्राकृति आपदा के समय जो एक्सन प्लान बना है । उसे व्यवहार में लायें ।

2. जो भी प्राकृति आपदायें होती है उसमें मुआवजा/अनुदान/सहायता राशि के भुगतान हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये जिससे कि पीड़ित परिवार को ससमय राशि का भुगतान मिल जाये ।

3. विभाग जब भी किसी को मुआवजा/अनुदान सहायता की राशि का भुगतान करती है तो वह कितनी राशि और किस तिथि को भुगतान किया गया है, उसकी पूर्ण जानकारी सभा सचिवालय को उपलब्ध कराये ।

उपर्युक्त सुझाव के साथ सभी शून्यकाल सूचनाओं को निष्पादित मान लिया गया है ।

निष्कर्ष

क्रमांक 01 से 20 तक पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन के आलोक में निष्पादित किया जाता है ।

सभापति,
नीतीश मिश्रा,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

ज्ञापांक 05/वि०स०–शू०का०–29–2021/2643–आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री हरिभूषण ठाकुर बचोल, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

शून्यकाल सूचना

मधुबनी जिला के बिस्फी एवं रहिका प्रखंड में धौस,जीवछ नदियों में आयी भीषण बाढ़ से आम जनता का जीवन स्तर व्यस्त हो गया है । किसानों का खेती चौपट हो गया है । सरकार अविलम्ब राहत कार्य चलावें ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2021 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होने के कारण बिस्फी एवं रहिका प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था । अतएव उक्त क्षेत्र में राहत कार्य नहीं चलाया गया ।

परिशिष्ट-II

ज्ञापांक 05/वि0स0-शू०का०–11/2022/3258–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री प्रेम शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 09 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर विधान सभा क्षेत्र के बनजरिया, पकरी, घोघराहा, महारानी पंडुई, उसरी शीतलपुर, पकहा एवं प्यारेपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहां हर साल बाढ़ आती है जिसके बाद बाढ़ राहत दी जाती है । इस बार भी बाढ़ आयी लेकिन बाढ़ राहत नहीं दी गयी । कृप्या बाढ़ राहत दिलायी जाये ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गोपालगंज जिला वर्ष-2021 में बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं था, फलतः अंचल अधिकारी, बैकुण्ठपुर एवं अंचल अधिकारी, सिंघवलिया के द्वारा आनुग्रहिक राहत (GR) का भुगतान नहीं किया गया है । इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज से भी जांच करायी गयी है । उनके द्वारा भी राशि वितरण करने की अनुशंसा नहीं की गयी है । अतः प्रश्नगत मामले में आनुग्रहिक राहत (GR) भुगतेय नहीं है ।

परिशिष्ट-III

ज्ञापांक 05/वि०स०–शू०का०–31/2021/2641–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री शमीम अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

नरकटिया विधान सभा के बंजरिया प्रखंड 13 पंचायत बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुये प्रत्येक परिवार को 6000 हजार रुपया जल्द-से-जल्द दिया जाये ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2021 में बंजरिया अंचल में आयी बाढ़ में कुल 28,830 परिवारों को 6,000 प्रति परिवार की दर से अनुग्रहिक राहत (GR) राशि का भुगतान किया गया है ।

परिशिष्ट-IV

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–18/2022/2629–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 29 मार्च, 2022 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

डी०सी०एल०आर० मधुबनी के पत्रांक 203, दिनांक 19 फरवरी, 2022 द्वारा जिला आपदा प्रबंधन शाखा को मधुबनी विधान सभा क्षेत्र में आपदाओं की संवेदनशीलता का आकलन कर निदान हेतु रैपिड ऐसेसमेन्ट कराने का अनुरोध किया गया परन्तु अभीतक कोई काम नहीं हुआ ।

अत: रैपिड असेसमेंट की मांग करता हूँ ।

उत्तर

प्रश्नगत मामले में सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । इसके अनुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रशिक्षित कार्मिक/विशेषज्ञ के सहयोग से जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है । जिसे जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने अनुमोदन के साथ पत्रांक 2471/आ०प्रा०, दिनांक 30 दिसम्वर, 2022 द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध करा दिया गया है । प्रासंगिक जिला आपदा प्रबंधन योजना में मधुबनी जिला के सभी विधान सभा क्षेत्र के आपदाओं का ऐसेसमेंट कर Action Plan तैयार किया गया है । किसी भी आपदा के समय उक्त तैयार Action Plan के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-V

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–04/2022/2408–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 29 मार्च, 2022 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

भोजपुर जिला के पीरो सब्जी मार्केट में आग लगने से 28 अप्रील, 2021 को 125 दुकानें जलने से दुकानदारों को एक करोड़ रुपया का नुकसान हुआ लेकिन आजतक उन्हें मुआवजा नहीं मिला । भूखमरी के शिकार दुकानदारों का प्रर्याप्त मुआवजे की मांग करता हूँ ।

उत्तर

आंशिक स्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के प्रतिवेदन के अनुसार भोजपुर जिला के पीरो नगर परिषद् में स्थित सब्जी गोला में दिनांक 28 अप्रील, 2021 को अगलगी की घटना हुई थी ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014 एन०डी०एम०-1, दिनांक 8 अप्रील, 2015 के द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पौंस फंड तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड से अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है । उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 1973, दिनांक 26 मई, 2015 द्वारा मानदर निर्धारित है । इसके अनुसार अग्निकांड से आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने पर नियमानुसार अनुदान प्रभावित परिवार को दिया जाता है । इसमें अग्निकांड से दुकान या व्यावसायिक भवनों के क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान का प्रावधान नहीं है ।

परिशिष्ट-VI

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–02/2022/2626–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर कमला नदी में 19 नवम्बर, 2021 को पूर्णिमा स्नान के क्रम में पिंटू कुमार एवं प्रशान्त कुमार, पिठवाटोला की मृत्यु डूबने से हुई पुलिस एवं प्रशासनिक विफलता से घटना घटी । जाँचोपरान्त समुचित कार्रवाई एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अंचल अधिकारी, जयनगर द्वारा प्रश्नगत मामले में स्वयं स्थल जाँच किया गया है । स्थलीय जांच में मृतक के परिजन के द्वारा पिन्टू कुमार एवं प्रशांत कुमार, पिठवाटोला का डूबकर मरने से संबंधित कोई भी साक्ष्य (सनहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि) उपलब्ध नहीं कराया गया ।

अत: प्रश्नगत मामले में नियमानुसार अनुग्रह अनुदान देय नहीं है ।

परिशिष्ट-VII

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–16/2022/2631–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री अजय कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 26 मार्च, 2022 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड के फरदा गाँव एवं उसके ईर्द-गिर्द के लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक जमीन गंगा के तेज धार में विलीन हो गया है । फरदा ग्राम एवं आस-पास के कृषक एवं कृषक मजदूर को राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था हेतु मैं सरकार से निवेदन करता हूँ ।

उत्तर

अपर समाहर्ता, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जमालपुर प्रखंड के फरदा गाँव एवं उसके ईर्द-गिर्द के लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक जमीन गंगा की तेज धार में विलीन होने संबंधी कोई सूचना नहीं है ।

परिशिष्ट-VIII

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–17/2022/4084–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्रीमती गायत्री देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना ।

प्रश्न

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा प्रखंड के सोनबरसा बाजार में दिनांक 24 मार्च, 2022 को सोलह व्यापारियों के घर एवं दुकान में 11.00 बजे रात्रि में अचानक आग लगने से बूरी तरह जल जाने के कारण लगभग दो करोड़ से ज्यादा की क्षति हुई है । अतः सरकार से अनुग्रह अनुदान राशि की मांग करती हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सोनबरसा प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार में दिनांक 24 मार्च, 2022 को बिजली के शॉट शर्किट से आग लगने के कारण 12 (बारह) व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान जल गयी थी ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014-एन०डी०एम०-1, दिनांक 8 अप्रील, 2015 के द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पौंस फंड तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड से अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ०प्र०, दिनांक 26 मई, 2015 द्वारा निर्धारित है । इसके अनुसार अग्निकांड से आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने पर नियमानुसार अनुदान प्रभावित परिवार को दिया जाता है । किन्तु इसमें अग्निकांड से दुकानों या व्यवसायिक/औद्योगिक भवनों में हुई क्षति के मामले में अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

परिशिष्ट-IX

ज्ञापांक 08/वि०स०–शून्यकाल–35/2021/5568–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

डॉ0 रामानुज प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना ।

प्रश्न

सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दिघवारा एवं सोनपुर प्रखंड में बाढ़ राहत राशि से वंचित पीड़ित परिवार को बाढ़ राहत राशि दिलवाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, सारण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2021 में सोनपुर एवं दिघवारा अंचल अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्रमशः कुल 17703 एवं 3015 परिवारों को अनुग्रहिक राहत (Gratutious Relief) का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा चुका है । उपरोक्त वर्णित दोनों अंचलों में बाढ़ प्रभावित कोई भी परिवार अनुग्रहिक राहत (Gratutious Relief) से वंचित नहीं है ।

परिशिष्ट-X

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–07/2021/3844–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री मुहम्मद इजहार अशफी, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 16 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

किशनगंज नगर परिषद् क्षेत्र वार्ड नं० 04 में बीती रात 15 मार्च, 2021 को भीषण आगजनी से एक ही परिवार के 05 सदस्यों की मृत्यु हो गई है और 01 सदस्य की हालत गम्भीर है । मैं सरकार से उक्त पीड़ित परिवार के सदस्य को अवलिम्ब अनुग्रह राशि दिलवाने की मांग करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सभी मृतक के आश्रित को प्रति मृतक रु० 4.00 (चार लाख) की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

परिशिष्ट-XI

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–12/2021/3753–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री इजहारूल हुसैन, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 16 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित पश्चिम पाली मोहीउद्दीनपुर, सलाम कॉलनी में रविवार मध्य रात्रि को आग लगने से एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की मौत हो चुकी और दो सदस्यों की हालत गंभीर है ।

अतः इनको अतिशीघ्र मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सभी मृतक के आश्रित को प्रति मृतक रु० 4.00 (चार लाख) की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

अतः प्रश्नगत मामले में नियमानुसार अनुग्रह अनुदान देय नहीं है ।

परिशिष्ट-XII

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–16/2021/2639–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 02 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में बैकठपुर-दुधैला पंचायत के कसमाबाद गांव में कल दिनांक 2 मार्च, 2021 को दिन के 11.00 बजे अचानक भीषण आग लग गई । जिसके वजह से लगभग चार सौ घर जलकर राख हो गया है ।

अतः सरकार से पीड़ित परिवार को अविलंब राहत दिलवाने की मांग करता हूँ

उत्तर

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में बैकठपुर दुधैला पंचायत के कसमाबाद गाँव में दिनांक 02 मार्च, 2021 को अग्निकांड से 233 परिवार प्रभावित हुये थे । अग्निपीड़ित परिवारों को तत्काल राहत के तहत 233 नग पॉलिथीन शीट्स का वितरण किया गया एवं सभी 233 अग्निपीड़ित परिवारों को प्रति परिवार रु० 9,800 (नौ हजार आठ सौ) रुपये की दर से अनुदान राशि कुल रु० 22,83,400 (बाईस लाख तेरासी हजार चार सौ) रुपये का भुगतान किया गया है ।

परिशिष्ट-XIII

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–01/2022/2638–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहड़ पश्चिम पंचायत के वार्ड नं०-2 के विहारी यादव पिता बंटी यादव की दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को गंगा की धार में डूबने से मौत हो गई ।

अतः पीड़ित परिवार को पाँच लाख सहायता राशि देने की मांग करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक बिहारी यादव, पिता-बंटी यादव, ग्राम-चौहदी, पंचायत-जयपुर चूहड़ पश्चिम, थाना-भवानीपुर (बिहपुर) जिला भागलपुर की माता मीरा देवी के खाता संख्या 35569725103 में अनुग्रह अनुदान की राशि मो० 4.00 लाख (चार लाख रु०) का भुगतान किया जा चुका है ।

परिशिष्ट-XIV

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–22/2021/2642–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री (मो0) महबूब आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 02 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में।

प्रश्न

कोरोना आपदा के दौरान घर वापसी में प्रवासी मजदूर बारसोई प्रखंड के काजी अनवर तथा बलरामपुर प्रखंड के तारिक की मौत बेगूसराय तथा गोरखपुर में भूख प्यास से हो गई। उनके आश्रित को बीस-बीस लाख रुपये का मुआवजा दे सरकार।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कोरोना आपदा के दौरान घर वापसी के क्रम में कटिहार जिला के किसी प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने संबंधी कोई मामला पूर्व से प्रतिवेदित नहीं है न हीं स्थानीय स्तर पर अबतक प्रकाश में आया है। शून्यकाल सूचना में मृतक का पता अपूर्ण रहने के कारण स्थानीय स्तर पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। विदित हो कि कोरोना काल में विभागीय निदेशानुसार बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों हेतु राहत शिविर एवं क्वॉरंटाईन सेन्टर का संचालन जिला प्रशासन, कटिहार द्वारा किया गया था, जिसमें आये हुये सभी प्रवासी मजदूरों को क्वॉरंटाईन अवधि के दौरान भोजन एवं बुनियादी सुविधा सहित रहने की व्यवस्था, मुख्यमंत्री राहत कोष से स्टील बर्तन (थाली, कटोरी, ग्लास), वस्त्रादि (लुंगी, धोती, गंजी, गमछा, साड़ी, साया, ब्लाउज, शर्ट-पैन्ट, फ्रॉक किट-1 (तेल, साबुन, कंघी, ऐनक, शैम्पू), किट-2 (बाल्टी, मग, मच्छरदानी, दरी) प्रदान किया गया। साथ ही प्रवासी मजदूरों को किराया राशि एवं अतिरिक्त सहायता के रूप में अधिकतम रु० 1,000 रुपये का भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट-XV

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–14/2021/2625–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री महा नन्द सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 04 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

अरवल जिला के शहर तेलपा टोला, मियांबाग में 7 जनवरी, 2021 को भीषण आग लगी थी जिसमें पाँच महादलित परिवार के धान का फसल नष्ट हो गया था। अभीतक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है ।

मैं सरकार से तत्काल मुआवजा की मांग करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 7 जनवरी, 2021 को शहर तेलपा, टोला, मियांबाग में अगलगी की हुई घटना में निम्न कृषकों के धान का फसल नष्ट हो गयी थी :—

1. श्री रामजीवन दास, पिता-स्व० रामदहिन दास
2. श्री सोमारू राजवंशी, पिता-स्व० बंजारी राजवंशी
3. श्री रामलखन राजवंशी, पिता श्री सजीवन राजवंशी
4. श्री दीपक राजवंशी पिता-स्व० टुसा राजवंशी एवं
5. श्रीमती देवलक्ष्मी, पति स्व० बैजनाथ राजवंशी उक्त सभी पाँचों कृषक परिवारों को अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

परिशिष्ट-XVI

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–10/2021/2640–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री प्रणव कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

मुंगेर जिलान्तर्गत मोकबिरा चाय टोला में विगत दिनों आगलगी के कारण पीड़ितों को सरकार द्वारा अनुशंसित राशि 9800 रुपये के बदले मात्र 6800 रुपये का भुगतान किया गया है ।

अत: सरकार से पूर्व में भी पीड़ित परिवारों को 9800 रुपये भुगतान कराने की मांग करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मोकबिरा चाय टोला में कुल 7 घरों में आग लग जाने के कारण अग्निपीड़ित परिवारों को तत्काल प्राप्त आवंटन में से नगद अनुदान स्वरूप 3000 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 21000 रुपये तथा बर्तन वस्त्र मद में 3800 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 26600 रुपये अर्थात कुल 6800 रुपये की प्रति परिवार की दर से मो० 47600 रुपये मात्र भुगतान किया गया था ।

खाद्यान्न मद की अवशेष राशि 3000 प्रति परिवार की दर से कुल मो० 21000 रुपये का भुगतान भी राशि प्राप्त होते ही पीड़ित परिवार को कर दिया गया है ।

इस तरह सभी 7 अग्निपीड़ित परिवारों को 9800 रुपये की दर से अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

परिशिष्ट-XVII

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–11/2021/2645–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री रामबली सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 8 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

लगातार अकाल एवं सुखाड़ झेलनेवाला 217 घोषी विधान सभा के दर्जनों गाँव में धान और नेवारी (पशुचारा) अगलगी में जल गया । पशुओं को चारा और फसल जलने का उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिये सरकार से मांग है कि नियमों में संशोधन किया जाये ।

उत्तर

प्रश्नगत मामले में वस्तुस्थिति यह है कि गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 33-03/ 2020 NDM-I (Vol-II), दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2025-26 तक की अवधि के लिये आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management) के वित्तपोषण पर 15वें वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission-FFC) की सिफारिशों और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष (NDRF) से भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु पूर्व से निर्धारित मद एवं मानदर (Items & Norms) को संशोधित करते हुये संशोधित मद एवं मानदर विभागीय पत्रांक 6304/आ०प्र०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 द्वारा संसूचित किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया गया है ।

उक्त मानदर के अनुसार अग्निकांड की घटना में अनाज सहित फसलों के जल जाने पर संबंधित कृषकों को मानदर के आलोक में अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है । किन्तु अग्निकांड की घटना में अनाज रहित भूसा, नेवारी आदि नष्ट हो जाने पर आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अनुदान राशि का प्रावधान नहीं है । उक्त मानदर में संशोधन का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट-XVIII

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–09/2021/2628–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड विशनपुर पंचायत मधुलता निवासी नागो, ऋषि उर्फ लाली का 5 अगस्त, 2020 को नदी में डूबने से मृत्यु हो गई जिसका यूडी केस 10/20 रानीगंज थाना में दर्ज है । मृतक के आश्रित को सरकार से अनुग्रह अनुदान देने की मांग करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक की माता लाजवंती देवी के बचत बैंक खाता में अनुग्रह अनुदान की राशि मो० 4.00 (चार लाख) रु० का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जा चुका है ।

परिशिष्ट-XIX

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–08/2021/2627–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री प्रेम शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 3 मार्च, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

मेरे विधान सभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर में विगत बाढ़ से 42 पंचायतों के लाखों जन-जीवन सहित फसलों की क्षति हुई परन्तु आपदा राहत मात्र 88411 व्यक्तियों को दिया गया ।

अभी भी छूटे हुये लाखों परिवारों को निर्धारित आपदा राहत की स्वीकृति अपेक्षित है ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2020 में बैकुण्ठपुर विधान सभा अन्तर्गत बाढ़ से 42 पंचायत प्रभावित थे । पंचायत अनुश्रवण समिति के अनुशंसा के आलोक में बैकुण्ठपुर प्रखंड अन्तर्गत 37281, सिंघवलिया प्रखंड अन्तर्गत 23550 एवं बरौली प्रखंड अन्तर्गत 28363 इस प्रकार कुल 89194 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रहिक राहत (GR) राशि आपदा सम्पूर्ति पोर्टल के माध्यम से उनके खाते में हस्तान्तरित कर दी गयी है ।

परिशिष्ट-XX

ज्ञापांक 05/वि०स०–शून्यकाल–28/2021/2630–आ०प्र०

बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रश्न

मधुबनी जिला के बासोपट्टी, जयनगर एवं किसान को फसल अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित किसान को फसल क्षति अनुदान एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत अनुदान देने की मांग करता हूँ ।

उत्तर

जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2021 में बासोपट्टी, जयनगर एवं खजौली प्रखंड में बाढ़ नहीं आयी थी । फलतः यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था अतएव प्रश्नगत मामले में राहत अनुदान देय नहीं है ।

बि0स0मु0 47–(एल0ए0). 2023–24 डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023